क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

मीना देवी, पति-राजा राम प्रसाद, ग्राम-बाबूगाँव, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0-157, खाता संख्या-91, प्लॉट संख्या-208, रकवा-05 डी0 भूमि बसंती देवी, पति-रामदेव कुमार दास, ग्राम-तिलरा, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 348/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता बसंती देवी एवं विक्रेता मीना देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं मसो0 बल्की पति कोला भूईयां के नाम दर्ज है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 03 डी0 भूमि बचेगी। भूमि आवेदिका को केवाला द्वारा खरीदगी हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 26/XIII पर मीना देवी के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता मीना देवी का अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/125481 दिनांक 11.03.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर, बिहार द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या BCCCO/2021/3548695 दिनांक 30.07.2021 और क्रेता बसंती देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/293229 दिनांक 04.02.2022 एवं अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी, चतरा द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	
	JHCSC/2021/45842 दिनांक 15.08.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0–157, खाता संख्या–91, प्लॉट संख्या–208, रकवा–05 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 14/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 14/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.14 16:32:59 +05:30
Location: 192.168.100.2